कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक गौतम नगर, भोपाल

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना वर्ष 2025-26 हेतु विज्ञापन

क्रमांक/तक./निजी क.हा.के./2025-26/..1158.. (संक्षिप्त) भोपाल, दिनांक 22-5-2025
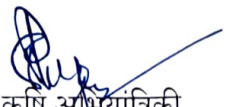
निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2025-26)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन-लाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं। ये कस्टम हायरिंग केन्द्र प्रदेश के सभी जिलों में खोले जाना हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत पर **आवेदकों (सामान्य,अ.जा.,अ.ज.जा. तथा एफपीओ) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक** का ''क्रेडिट लिंक्ड बैक एण्डेड (Credit Linked Back Ended)'' अनुदान दिया जायेगा। **अनुदान की गणना सब मिशन आन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025** में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। प्रदेश में **कुल 1000** कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के **कुल-599**, अनुसूचित जन जाति के **कुल-189**, अनुसूचित जाति के **कुल-157** तथा एफपीओ के **कुल-55**) लक्ष्यों का जिलेवार विवरण आमंत्रण की सूचना (विस्तृत) के परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। जिले अनुसार लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2025-26 हेतु ही वैध रहेंगें। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जानी होगी। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 26 मई से 12 जून 2025 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	-	दिनांक 13 जून 2025 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 13 जून 2025 को सांय 5.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)
3.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 16-17 जून 2025 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक

योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। **एक से अधिक जिलों/ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये** जावेंगे। कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में किया जायेगा। विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट (www.chc.mpdage.org) पर देखा जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/तक./निजी क.हा.के./2025-26/...1158..(विस्तृत) भोपाल, दिनांक 22-5-2025

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2025-26)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ''ऑन-लाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया -

1. प्रदेश में **कुल 1000** (संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार) कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः (सामान्य के **कुल-599**, अनुसूचित जन जाति के **कुल-189**, अनुसूचित जाति के **कुल-157** तथा एफपीओ के **कुल-55**) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात् **वर्ष 2025-26** हेतु ही वैध रहेंगें। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रू. 10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में नीचे बिन्दु क्रमांक 2 में दी गई सूची में उल्लेखित **सहायक कृषि यंत्री** के नाम से बनाया जाना होगा। ऑन-लाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	-	दिनांक 26 मई से 12 जून 2025 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें।
2.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	-	दिनांक 13 जून 2025 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर दिनांक 13 जून 2025 को सांय 5.00 बजे से देखी जा सकेंगी।)
3.	जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	-	दिनांक 16-17 जून 2025 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक

2. जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमाक
1	भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, भोपाल''	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष - 0755-2736200
2	इन्दौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, इन्दौर''	संभागीय कृषि यंत्री, कार्यालय कौशल विकास केन्द्र (कृषि अभियांत्रिकी) रिग रोड, हंस टेवल्स के पास, पिपलियाहाना, मूसा-खेड़ी, इंदौर
3	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, सतना''	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना, दूरभाष - 07672-222223
4	जबलपुर संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर''	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष -0761-2680928
5	सागर संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, सागर''	कार्यालय कार्यपालन यंत्री, बीहड़ कृष्यकरण योजना, सागर संभाग, कृषि अभियांत्रिकी परीसर, पुरानी तहसीली के पास बरिया तिगड्डा, न्यू ऑफिसर कालोनी सागर, पिन कोड 470002
6	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले।	''सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर'	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595

3. योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केन्द्र स्थापित हो चुके है वहां के लिये आवेदन प्रस्तुत न किये जाये। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा। एफपीओ का आवेदन उसके चयनित अध्यक्ष के माध्यम से ही भरा जावेगा।

4. जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑन-लाईन आवेदनों की श्रेणीवार (सामान्य, अनु.जाति, अनु.जनजाति तथा एफपीओ) प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापित करने के विचार क्षेत्र में लिया जायेगा।

5. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री/ कार्यपालन यंत्री कार्यालय में **दिनांक 16-17 जून 2025** को कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा । उक्त दिनांक को केवल लक्ष्य अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों के अभिलेखों का ही सत्यापन किया जायेगा । अन्य आवेदकों को भविष्य में सूचना देकर बुलाया जावेगा । सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑन-लाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा । अभिलेखों के सत्यापन हेतु जिलेवार निर्धारित दिनांकों की जानकारी **परिशिष्ट-3** पर है । इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची (जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो), जाति प्रमाण-पत्र डिजीटल एवं मूल प्रति (केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण-पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड अथवा ऋण पुस्तिका) सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होगें । एफ.पी.ओ के कृषक समूह को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी/गवर्निंग बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड व अन्य विवरण प्रस्तुत करना होगा । अभिलेख परीक्षण न कराने अथवा मूल बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।

6. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है (प्रकरण को बैंक में भेजने के बाद) अथवा केन्द्र स्थापित कराने में असफल होता है, तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी ।

7. संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों हेतु दिनांक **21 जून 2025** को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधी एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा ।

8. लॉटरी से चयनित आवेदकों को सी.ए. के माध्यम से बनाए गए अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में मार्गदर्शी शिविर के आगामी **10 दिवस** में प्रस्तुत किये जाने होंगे । जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरान्त भारत सरकार के एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत आवेदन कराया जायेगा। एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड योजनान्तर्गत हितग्राही को 3 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी प्राप्त होता है तथा भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की कोलेटरल गारंटी भी दी जाती है। यह दोनों सहायता कस्टम हायरिंग योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले 40 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त होती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने पर संबंधित बैंक अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी। यदि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदकों को केवल कस्टम हायरिंग का 40 प्रतिशत का अनुदान ही प्राप्त होगा। आवेदकों के प्रकरण कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा सीधे संबंधित बैंक को अग्रेषित किये जायेंगे। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृति एवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने/भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि के एक माह के अन्दर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी । निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरान्त हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरान्त आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी ।

प्रशिक्षण उपरान्त आवेदकों द्वारा केन्द्र की स्थापना किये जाने पर भौतिक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जायेगी तथा सत्यापन में उपयुक्त पाये गये प्रकरणों में बैंक को **''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy) ''** के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

पात्रता एवं शर्ते:-

1. योजनांतर्गत हितग्राही को स्वयं के गांव में कृषि कार्यों हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाना है। कस्टम हायरिंग केन्द्र के माध्यम से हितग्राही द्वारा कृषकों को कृषि कार्यों हेतु किराये पर मशीनें एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवायें दी जाना होगी।
2. प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू. 25.00 लाख) पर **आवेदकों (सामान्य, अ.जा. एवं अ.ज.जा. एवं एफ.पी.ओ.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक** का ''क्रेडिट लिंक्ड बैंक एन्डेड सबसिडी (Credit Linked Back Ended Subsidy'' अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना **अतंर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी।**
3. प्रत्येक जिले में परिशिष्ट-1 में दर्शायी सूची अनुसार कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः **कुल 1000** कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के **कुल-599**, अनुसूचित जन जाति के **कुल-189**, अनुसूचित जाति के **कुल-157** तथा एफपीओ के **कुल-55**) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगे।
4. कस्टम हायरिंग केन्द्र राशि रू. 10 लाख से अधिक तथा 25 लाख तक की लागत का स्थापित किया जा सकेगा।
5. बैंक ऋण के आधार पर केन्द्र स्थापित किया जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
6. अनुदान का भुगतान ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक को किया जायेगा जो हितग्राही द्वारा बैंक-ऋण की पूर्ण अदायगी किये जाने के उपरान्त हितग्राही के खाते में समायोजित होगा।
7. योजनान्तर्गत आवेदकों को न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
8. योजनांतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदकों की उम्र दिनांक **01 जून 2025** को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
9. पूर्व से ही शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत् अथवा अन्य शासकीय योजना (भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को छोड़कर) से रोजगार हेतु लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगें। जानकारी गलत पाये जाने पर संबंधित का प्रकरण निरस्त योग्य होगा।
10. भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) योजना को इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट को 3 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान तथा कोलेटेरल हेतु सीजीटीएमएसई अंतर्गत भारत सरकार की गांरटी प्राप्त होती है। यह लाभ कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु प्राप्त 40 प्रतिशत तक के अनुदान के अतिरिक्त होता है। कस्टम हायरिंग केन्द्र की योजनान्तर्गत प्राथमिकता सूची में आये आवेदकों को ए.आई.एफ. योजनान्तर्गत पृथक से आवेदन भारत सरकार के पोर्टल पर प्रस्तुत किये जाने होते है जिनमें पात्र पाये जाने पर ए.आई.एफ. के भी लाभ प्राप्त होते है।
11. एक ग्राम में एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जायेगा। पूर्व के ग्राम जिसमें कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा चुका है, उन ग्रामों में पुनः केन्द स्वीकृत नहीं किया जायेगा। पूर्व के केन्द्रों व ग्रामों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।

(क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)

12. एक परिवार/एक एफ.पी.ओ. को एक से अधिक कस्टम हायरिंग केन्द्र प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों को भी इस योजना अंतर्गत केन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा।
13. व्यक्तिगत आवेदक की स्थिति में जिस ग्राम में केन्द्र स्थापित किया जाना है आवेदक को उस ग्राम का मूल निवासी (मूल-निवासी प्रमाण-पत्र) होना अथवा उस ग्राम में स्वयं या माता-पिता के नाम से भूमि होने पर ही संबंधित ग्राम में केन्द्र के आवेदन हेतु पात्रता होगी।
14. एफ.पी.ओ. मध्यप्रदेश में ही पंजीकृत होना चाहिए। विगत दो वर्षों से लाभप्रद एवं न्यूनतम 300 किसान सदस्य आवश्यक है। एफ.पी.ओ. का आवेदन उनके पंजीयन प्रमाण-पत्र मे उल्लेखित जिले हेतु ही मान्य होगा।
15. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है, उसी जिले से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
16. आवेदक जिस जिले के अंतर्गत केन्द्र स्थापित करना चाहता है उसी जिले के किसी बैंक शाखा से ही अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा। अन्य जिले में प्रकरण स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जावेगा।
17. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी।
18. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।
19. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा। इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी।
20. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी।
21. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।

एक इकाई में रखी जाने वाली सामग्री/उपकरण निम्नानुसार होगी:-

श्रेणी (अ)- अनिवार्य रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्र -

1. एक ट्रैक्टर
2. एक प्लाऊ अथवा पावर हैरों
3. एक रोटावेटर
4. एक कल्टीवेटर अथवा एक डिस्क हैरो
5. एक सीड कम फर्टिलाईज़र ड्रिल अथवा अन्य ट्रेक्टर चलित बुबाई यंत्र
6. एक ट्रैक्टर चलित थ्रेशर अथवा स्ट्रॉ रीपर
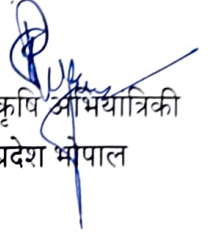
नोट - आवेदक केवल 01 ट्रैक्टर का क्रय कर सकता है। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 के दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक स्वचालित यंत्र पर AI-powered telematic kit (GPS System) होना अनिवार्य है। AI-powered telematic kit (GPS System) के बिना इन यंत्रो पर अनुदान देय नहीं होगा।

श्रेणी (ब)- ऐच्छिक यंत्र - प्रोजेक्ट की लागत सीमा अंतर्गत यदि आवेदक चाहे तो स्थानीय तथा फसल की आवश्यकताओं को देखकर परिशिष्ट-2 मे दी गई ऐच्छिक यंत्रो की सूची मे से यंत्रों का क्रय भी कर सकेगा परन्तु अधिकतम प्रोजेक्ट की लागत राशि रू. 25 लाख ही रहेगी।

प्रोजेक्ट अंतर्गत यंत्रों का क्रय संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत निर्माताओं के पोर्टल पर उनके पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं से किया जा सकेगा। क्रय किये जा रहे कृषि यंत्र, ट्रेक्टर के साथ मेचिंग के होना चाहिये तथा उनको पोर्टल पर दर्शायी दरों (पोर्टल हेतु अधिकतम दरें, GST सम्मिलित) से अधिक दर पर क्रय नहीं किया जा सकेगा। ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल में पंजीकृत निर्माताओं की सूची तथा अन्य विवरण कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की वेबसाईट **www.dbt.mpdage.org** पर उपलब्ध है।

22. कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किया जा सकेगा।
23. भारत सरकार द्वारा कृषको को ऑनलाईन कृषि यंत्र किराये से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App प्रारंभ किया गया है। अनुदान प्राप्त सभी हितग्राहीयों को अपना पंजीयन भारत सरकार के "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App App पर करवाना अनिवार्य होगा। "KRISHI MAPPER"/ MP Kisan App App पर पंजीयन की पुष्टि के बाद ही अनुदान भुगतान किया जावेगा।
24. कस्टम हायरिंग केन्द्र अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को सही हालत में आवेदक द्वारा रखा जाना होगा तथा किये गये कार्यो का विवरण कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा एक पंजी में संधारित करके रखा जाना होगा।
25. पात्रता एवं शर्तों के बिन्दु क्रमांक-7,8 एवं 11 एफ.पी.ओ. पर लागू नही होगें।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-1

वर्ष 2025-26 हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के जिलेवार लक्ष्य

क्रमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	एफपीओ	योग
1	भोपाल	11	3	3	1	18
2	सीहोर	11	3	3	1	18
3	रायसेन	11	3	3	1	18
4	विदिशा	11	3	3	1	18
5	राजगढ़	11	3	3	1	18
6	होशंगाबाद	11	4	3	1	19
7	हरदा	11	3	3	1	18
8	बैतूल	11	6	3	1	21
9	उज्जैन	11	2	4	1	18
10	मंदसौर	11	3	3	1	18
11	रतलाम	11	3	3	1	18
12	देवास	11	3	3	1	18
13	शाजापुर	11	2	4	1	18
14	आगर	11	3	3	1	18
15	नीमच	11	3	3	1	18
16	इंदौर	11	3	3	1	18
17	धार	11	5	3	1	20
18	झाबुआ	8	6	1	1	16
19	खरगौन	11	4	3	1	19
20	बड़वानी	11	6	1	1	19
21	खण्डवा	11	3	3	1	18
22	बुरहानपुर	11	3	3	1	18
23	अलीराजपुर	8	6	1	1	16
24	ग्वालियर	11	3	3	1	18
25	शिवपुरी	11	3	3	1	18
26	गुना	11	3	3	1	18
27	अशोकनगर	11	2	4	1	18
28	दतिया	11	2	4	1	18
29	मुरैना	11	2	6	1	20
30	श्योपुर	11	3	3	1	18
31	भिण्ड	11	2	4	1	18
32	सागर	11	2	4	1	18
33	दमोह	11	3	3	1	18

क्रमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	एफपीओ	योग
34	पन्ना	11	3	3	1	18
35	टीकमगढ़	11	2	4	1	18
36	निवाडी	11	2	3	1	17
37	छतरपुर	11	2	4	1	18
38	जबलपुर	11	3	3	1	18
39	कटनी	11	3	3	1	18
40	बालाघाट	11	4	3	1	19
41	छिंदवाड़ा	22	7	5	2	36
42	सिवनी	11	4	3	1	19
43	मण्डला	11	6	1	1	19
44	नरसिंहपुर	11	3	3	1	18
45	डिण्डोरी	11	6	1	1	19
46	रीवा	22	6	5	2	35
47	सीधी	11	3	3	1	18
48	सतना	22	6	5	2	35
49	सिंगरौली	11	3	3	1	18
50	शहडोल	11	6	1	1	19
51	अनुपपुर	11	6	1	1	19
52	उमरिया	11	6	1	1	19
योग		**599**	**189**	**157**	**55**	**1000**

नोटः- उपरोक्त तालिका में पांदुर्णा जिले के लक्ष्य (सामान्य-11, अनुसूचित जाति- 3, अनुसूचित जनजाति-2 एवं एफ.पी.ओ.- 1) छिंडवाड़ा जिले में , मऊगंज जिले के लक्ष्य (सामान्य-11, अनुसूचित जाति- 3, अनुसूचित जनजाति-2 एवं एफ.पी.ओ.- 1) रीवा जिले में तथा मैहर जिले के लक्ष्य (सामान्य-11, अनुसूचित जाति- 3, अनुसूचित जनजाति-2 एवं एफ.पी.ओ.- 1) सतना जिले में सम्मिलित किये गये है। पांदुर्णा, मऊगंज एवं मैहर जिले के आवेदक क्रमशः छिंदवाड़ा, रीवा एवं सतना जिले से आवेदन करेगें। लॉटरी होने के उपरांत पांदुर्णा, मऊगंज एवं मैहर जिलों के आवेदकों की प्राथमिकता सूची क्रमशः छिंदवाड़ा, रीवा एवं सतना जिलों से पृथक कर जिलों की मूल सूची में उल्लेखित प्राथमिकता क्रम के अनुसार संचालनालय द्वारा सूची तैयार कर जारी की जायेगी।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट–2

ऐच्छिक रूप से रखे जाने वाले कृषि यंत्रो/मशीनों की सूची

क.	मशीन/स्वचलित कृषि यंत्र
1	हैप्पी सीडर
2	सुपर सीडर
3	रेज्ड बेड प्लान्टर
4	जीरो टिलेज सीड ड्रिल
5	वेजीटेबल प्लान्टर
6	पोटेटो प्लान्टर
7	शुगरकेन कटर-प्लान्टर
8	मल्टीक्राप प्लान्टर
9	ट्रैक्टर माउन्टेड रीपर
10	काटन पीकर
11	ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रेयर
12	पावर स्प्रेयर
13	ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर
14	लेजर लेण्ड लेवलर
15	स्ट्रॉरीपर
16	सीड ग्रेडर
17	पावरटिलर
18	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर
19	रीपर कम बाइन्डर
20	राईस ट्रांसप्लान्टर
21	पावर वीडर
22	बनाना (BANANA) फाइबर एक्सट्रैक्टर
23	एक्सियल फ्लो पेडी थ्रेशर
24	स्ट्रॉ लोडर
25	रोटरी प्लाउ
26	डोजिंग अटैचमेंट
27	क्लीनर कम ग्रेडर
28	राईस मिल
29	दाल मिल
30	आईल एक्सट्रेक्टर
31	मिलेट मिल
32	ग्राईन्डर

नोट:- ऐच्छिक यंत्रो की सूची केवल उदाहरण स्वरूप है। आवश्यकतानुसार अन्य यंत्र जो ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर प्रदर्शित है उनमें से चयनित किया जा सकता है।

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट–3

अभिलेखों के सत्यापन हेतु जिलेवार निर्धारित तिथियाँ

क्रं.	संभाग	निर्धारित तिथि	जिलों का नाम
1	भोपाल	16.06.2025	भोपाल, राजगढ़, विदिशा एवं रायसेन
		17.06.2025	होशंगाबाद, हरदा, बैतूल एवं सीहोर
2	इन्दौर	16.06.2025	इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार
			खरगौन, बड़वानी, खण्डवा एवं बुरहानपुर
		17.06.2025	देवास, शाजापुर एवं आगर-मालवा
			उज्जैन, रतलाम, मंदसौर एवं नीमच
3	ग्वालियर	16.06.2025	ग्वालियर, दतिया, भिण्ड एवं मुरैना
		17.06.2025	श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर एवं गुना
4	सागर	16.06.2025	सागर, दमोह एवं पन्ना
		17.06.2025	छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी
5	जबलपुर	16.06.2025	जबलपुर,कटनी,छिन्दवाड़ा,पांदुर्णा एवं सिवनी
		17.06.2025	मण्डला, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं डिण्डोरी
6	रीवा-शहडोल	16.06.2025	रीवा, सतना, मैहर, सीधी एवं सिंगरौली
		17.06.2025	उमरिया, मऊगंज,शहडोल एवं अनूपपुर

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल